[2022] 18 एस. सी. आर. 455

क.

मानुषा श्रीकुमार और ओआरएस. वी.

संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड (सिविल अपील सं। 2022 का 7593)

17 अक्टूबर, 2022

[सूर्या कांत और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-क्षतिपूर्ति-मृतक की आय, न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना पर विचार करते हुए निर्धारित-भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 -धारा 57-केरल मोटर परिवहन श्रमिक उचित मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1971 -एस. 2-मृतक को 2015 में अपनी मोटरसाइकिल की सवारी करते समय एक घातक दुर्घटना का सामना करना पड़ा, दोषी कार का प्रतिवादी-बीमा कंपनी द्वारा बीमा किया गया था-न्यायाधिकरण ने अन्य शीर्षों के साथ निर्भरता के नुकसान का कुल मुआवजा रु। 32,39,000-- उच्च न्यायालय ने मुआवजे को घटाकर रु। 19,70,000-- अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःयह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि मृतक एक वैध लाइसेंस के साथ एक मछली विक्रेता-सह-चालक था-इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि वह अपनी मृत्यु के समय एक चालक था-वेतन प्रमाण पत्र के अभाव में, कुछ अनुमानों के साथ न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना जो वास्तविकता से पूरी तरह से अलग नहीं है, मृतक की आय निर्धारित करने के लिए एक मापदंड के रूप में कार्य करेगी-इस प्रकार, केरल उचित मजदूरी अधिनियम की न्यायिक सूचना जो एक चालक को "कुशल श्रमिक" के रूप में वर्गीकृत करती है-इसे कुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने वाली अधिसूचना के संयोजन के साथ पढ़ना, जो 01.01.15 केरल उचित मजदूरी अधिनियम में संशोधन से प्रभावी हुआ, केरल में एक 'चालक' ने न्यूनतम रु। 2015 में 15,600/--इस प्रकार, मृतक की अंतिम अनुमानित आय Rs.15,600/- (रु। 1,87,200 -पी. ए.)-चूंकि मृतक अपनी मृत्यु के समय 32 वर्ष का था, इसलिए आवेदन किया गया गुणक भविष्य की संभावनाओं के लिए वृद्धि का 16-40% है क्योंकि वह स्व-नियोजित था-मृतक की आय का एक तिहाई उसके व्यक्तिगत खर्च के लिए काटा गया था क्योंकि उसके तीन आश्रित थे-इसलिए, निर्भरता के नुकसान के शीर्ष के तहत अपीलार्थियों को देय मुआवजा Rs.27,95,520/- है-विभिन्न शीर्षों के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दी गई शेष राशि को जोड़ने पर, कुल मुआवजा रु। 29,73,520-, बीमा कंपनी द्वारा 9 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान किया जाना है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

क.

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 -s.168-आयोजितःs.168 उचित प्रतीत होने वाले मुआवजे को देना अनिवार्य बनाता है-पर्याप्त मुआवजे को उचित और न्यायसंगत मुआवजा माना जाता है-अदालतों की जिम्मेदारी है कि वे मामले-दर-मामले के आधार पर पर्याप्त मुआवजे का निर्णय लें।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-न्यायसंगत क्षतिपूर्ति-स्थापित किए जाने वाले कारक-आयोजित किए गए:जैसा कि सरला वर्मा और ओआरएस. वी. में निर्धारित किया गया है।डीटीसी और ओआरएस, तीन कारक हैं:(क) मृतक की आयु; (ख) मृतक की आय; और (ग) आश्रितों की संख्या।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-क्षतिपूर्ति-निर्भरता की हानि-न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मुद्दे-आयोजित:निर्भरता के नुकसान पर पहुंचने के लिए जिन मुद्दों का निर्धारण किया जाना है, वे हैं-आय तक पहुंचने के लिए किए जाने वाले परिवर्धन/कटौती; मृतक के व्यक्तिगत जीवन व्यय के लिए की जाने वाली कटौती; और मृतक की उम्र के संदर्भ में लागू किए जाने वाले गुणक।

ग

डी.

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-गैर-पारंपरिक शीर्षों के तहत मुआवजा, यदि दिया जाना है-बीमा कंपनी की याचिका कि उच्च न्यायालय को अपीलकर्ताओं को 'गैर-पारंपरिक शीर्षों' के तहत कोई मुआवजा नहीं देना चाहिए था, जो प्रणय सेठी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अस्वीकार्य है-आयोजित:बीमा कंपनी ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं करने का फैसला किया-स्वीकार करने के बाद, बीमा कंपनी पलट नहीं सकती है और उक्त शीर्ष के तहत दिए गए मुआवजे की मामूली राशि पर सवाल नहीं उठा सकती है-हालांकि, कानून का सवाल खुला रखा गया।

ई.

च

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1.1** मोटर वाहन अधिनियम, **1988** के तहत मुआवजे का निर्धारण करते समय, अधिनियम की धारा **168** उचित प्रतीत होने वाले मुआवजे को देना अनिवार्य बनाती है।यह अधिनियम एक सामाजिक कल्याण कानून होने के नाते मुआवजे के रूप में आर्थिक अवधारणा के माध्यम से संचालित होता है, जो सुधारात्मक न्याय का मार्ग प्रशस्त करता है।क्षतिपूर्ति गलत करने वाले और पीड़ित के बीच समानता लाने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करती है, जब भी पीड़ित को गलत करने वाले के नुकसान से समानता बाधित हो जाती है।यह मानव पीड़ा को यथासंभव ठीक करने का भी प्रयास करता है और उन परिवारों को भी बचाने का प्रयास करता है जिन्होंने अपना ए खो दिया है।

जी.

एच.

457

मानुषा श्रीकुमार और ओ. आर. एस. बनामसंयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड।

रोजी-रोटी कमाने वालों को भटकाव की ओर धकेलने से।पर्याप्त मुआवजे को निष्पक्ष और न्यायसंगत मुआवजे के रूप में माना जाता है।अदालतों के कंधों पर मामले-दर-मामले के आधार पर पर्याप्त मुआवजे का निर्णय लेने की जिम्मेदारी होती है।हालांकि, अदालतों के लिए यह अनिवार्य है कि वे ऐसा मुआवजा दें जिसका वास्तविक नुकसान से संबंध हो।यह न्यायालय, सरला वर्मा और अन्य के मामले में।डीटीसी और ओआरएस।, न्यायसंगत मुआवजे की गणना के लिए एक वस्तुनिष्ठ सूत्र निर्धारित किया। उक्ति के अनुसार, जिन तीन कारकों को स्थापित करने की आवश्यकता है वे हैं:**(**क**)** मृतक की आयु**; (**ख**)** मृतक की आय**;** और **(**ग**)** आश्रितों की संख्या।इसके अलावा, निर्भरता के नुकसान पर पहुंचने के लिए न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मुद्दे हैं:**(**आय तक पहुँचने के लिए किए जाने वाले परिवर्धन/कटौती**; (ii)** मृतक के व्यक्तिगत जीवन व्यय के लिए की जाने वाली कटौती**;** और **(iii)** मृतक की आयु के संदर्भ में लागू किया जाने वाला गुणक।**”** इन निर्धारकों को मानकीकृत करने का उद्देश्य निर्णयों में एकरूपता लाना और बिना किसी देरी के दावों का निपटान करना था।तत्काल मामले में मापदंडों को लागू करते हुए, यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि मृतक, निस्संदेह, एक वैध लाइसेंस के साथ एक मछली विक्रेता-सह-चालक था।केरल मोटर परिवहन श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जो मृतक को हल्के मोटर माल वाहन के

चालक के रूप में प्रमाणित करता है, जिसमें पंजीकरण संख्या। एक 'पी' के स्वामित्व में के. एल.-36-बी.-7822 रिकॉर्ड पर साबित हुआ है।इसके अलावा, मृतक ने अप्रैल 2012 से अपनी मृत्यु के महीने तक बोर्ड को अपनी सभी सदस्यताओं का भुगतान भी किया था।अदालत को इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं मिला कि मृतक अपनी मृत्यु के समय एक चालक था।वेतन प्रमाण पत्र के अभाव में, न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना के साथ-साथ कुछ अनुमान जो वास्तविकता से पूरी तरह से अलग नहीं हैं, मृतक की आय निर्धारित करने के लिए एक मापदंड के रूप में कार्य करेगा।इस संदर्भ में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 57 के महत्व को ध्यान में रखते हुए, केरल उचित मजदूरी अधिनियम, विशेष रूप से इसकी धारा 2 के प्रावधानों का न्यायिक नोटिस लिया जाता है।[पारस 16-19] [464-C-G; 465-A-C]

ग

डी.

ई.

च

जी.

चंद्र उपनाम चंदा उपनाम चंद्राराम और अन्र बनाम।मुकेश कुमार यादव और अन्य। (2022) 1 एससीसी 198:

2021 (9) जे. टी. 442-पर भरोसा किया।

एच.

क.

1.2 केरल उचित मजदूरी अधिनियम की अनुसूची बी-श्रेणी III एक चालक को "कुशल श्रमिक" के रूप में वर्गीकृत करती है। इसे उस अधिसूचना के संयोजन में पढ़ना जो 01.01.2015 से प्रभावी हुई थी, जिसने केरल उचित मजदूरी अधिनियम की अनुसूची ए में संशोधन किया था, जिसमें अनुसूची बी में सूचीबद्ध श्रमिकों के न्यूनतम वेतनमान को निर्धारित किया गया था, यह स्पष्ट है कि केरल में एक 'चालक' ने न्यूनतम रु। 2015 में 15,600/-।ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त अधिनियम और उसके तहत जारी अधिसूचना को न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था।इसके परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय 'चालक' जैसे कुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने वाले वैधानिक आदेश का संज्ञान नहीं ले सका, और इस प्रकार, मृतक की आय Rs.10,000/- निर्धारित करने में गलती हुई।इस प्रकार मृतक की अंतिम अनुमानित आय Rs.15,600/- (रु. 1,87,200-प्रति वर्ष) निर्धारित की जानी चाहिए।चूँकि मृतक अपनी मृत्यु के समय 32 वर्ष का था, तत्काल मामले में लागू गुणक 16 होगा, और भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत वृद्धि को जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि मृतक स्व-नियोजित था।मृतक की आय का एक तिहाई हिस्सा उसके व्यक्तिगत खर्च में काटा जाएगा क्योंकि उसके तीन आश्रित थे।इसलिए, निर्भरता के नुकसान के शीर्ष के तहत अपीलार्थियों को देय मुआवजे की राशि Rs.27,95,520/- (रु। 15, 600 x 140/100 x 12 x 16 x 2/3)।विभिन्न शीर्षों के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दी गई शेष राशि को जोड़ने पर, अपीलार्थी को दिया गया कुल मुआवजा रु। 29,73,520-(Rs.27,95,520/- + रु. 1,78,000-)।[पारस 20-22,25] [466-B-D, F-G; 467-C]

ग

डी.

ई.

रामचंद्रप्पा बनाम प्रबंधक, रॉयल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(2011) 13** एस. सी. सी. **236:[2011] 9** एससीआर **922;** सैयद सादिक और ओआरएस. वी.प्रभागीय प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(2014) 2** एस. सी. सी. **735:2014 (1)** जे. टी. **569** राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम.

च

प्रणय सेठी और ओआरएस। (2017) 16 एससीसी 680:[2017] 13

एस. सी. आर. **100;** चोलामंडलम मेसर्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वी. आरिफा और अन्य। सिविल अपील सं। **6020 /**

जी.

2019 आदेश डी. टी.01.08.2019 ; द न्यू इंडिया

आश्वासन कंपनी लिमिटेड वी. सोमवती और अन्य एसएलपी **(**सिविल**)** डायरी

नं. 30766/2019 ऑर्डर dt के माध्यम से।24.09.2019; सरला

वर्मा और ओआरएस. वी.डीटीसी और ओआरएस। (2009) 6 एससीसी 121:

[2009] 5 एस. सी. आर. **1098-**संदर्भित।

एच.

459

मानुषा श्रीकुमार और ओ. आर. एस. बनामसंयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड।

क.

ग्रेगरी सी. कीटिंग, 'दुर्घटनाओं के अपकृत्य कानून में वितरण और सुधारात्मक न्याय' **(2000) 74** एस कैल एल रेव **193** देखें-जिसका उल्लेख किया गया है।

निर्णीत विधि संदर्भ

[2011] 9 एससीआर **922**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

[2017] 13 एससीआर **100**

संदर्भित किया गया है

पैरा **14**

[2009] 5 एससीआर **1098**

संदर्भित किया गया है

पैरा **17**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील संख्या 7593।

ग

एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के 2018 के M.A.C.A. संख्या 4102 में दिनांकित 23.07.2019 के निर्णय और आदेश से।

थॉमस पी. जोसेफ, सीनियर एड., बिजो मैथ्यू जॉय, टॉम जोसेफ, विनीत एन., शेषलपा साई बंडारू, एड.अपीलार्थियों के लिए।

प्रदीप गौर, स्पर्श कांत नायक, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सूर्या कान्ट, जे।

1 . अनुमति प्रदान की गई.

ई.

2. वर्तमान अपील मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पाला (इसके बाद, "न्यायाधिकरण") के दिनांकित निर्णय के खिलाफ प्रत्यर्थी (इसके बाद, "बीमा कंपनी") द्वारा दायर एक अपील में केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित निर्णय से उत्पन्न होती है।उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और मुआवजे की राशि में एक लाख रुपये की कमी कर दी। 32,39,000-न्यायाधिकरण द्वारा अपीलार्थियों को रु. 19,70,000-।तत्काल मामले में शामिल मुद्दा मुख्य रूप से न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न शीर्षों के तहत दिए गए मुआवजे की मात्रा के निर्धारण से संबंधित है।

च

जी.

उ. वास्तविक पृष्ठभूमिः

3. 21.02.2015 पर, 32 वर्षीय मृतक (श्रीकुमार) के सपने और आकांक्षाएं चकनाचूर हो गईं जब वह एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गया जो उस समय हुई जब वह पंजीकरण संख्या वाली अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था। के. एल.-36-सी-9198 थलयोलापरम्बु से एर्नाकुलम रोड तक,

एच.

460

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 18 एस सी आर।

क.

केरल।दुर्घटना के समय, उल्लंघन करने वाली कार का पंजीकरण सं। के. एल.-07-बीबी-5053 का बीमा प्रतिवादी बीमा कंपनी द्वारा किया गया था और कथित तौर पर लापरवाही से चलाया गया था।कार विपरीत दिशा से आई और मृतक द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल से टकरा गई।प्रभाव के परिणामस्वरूप, श्रीकुमार गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।हालांकि मृतक की जान बचाने के लिए ठोस प्रयास किए गए, लेकिन दुर्भाग्य से अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।

4. अपने कमाने वाले की असामयिक मृत्यु के दुख में डूबे हुए, अपीलकर्ताओं ने अपने नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करते हुए न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया।यह ध्यान दिया जा सकता है कि पहला अपीलार्थी मृतक की पत्नी है, दूसरा अपीलार्थी उनका नाबालिग बेटा है, और तीसरा अपीलार्थी मृतक की माँ है।अपीलकर्ताओं ने संयुक्त रूप से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (इसके बाद, "अधिनियम") की धारा 166 के तहत एक दावा याचिका दायर की, जिसमें मुआवजे की मांग की गई। 64,15,000-ब्याज के साथ।बीमा कंपनी ने दावे को भ्रमित करते हुए कहा कि दुर्घटना मृतक की लापरवाही के कारण हुई।विभिन्न शीर्षों के तहत दावा की गई मुआवजे की राशि भी अत्यधिक होने का आरोप लगाया गया था।

ग

डी.

5. अपीलकर्ताओं ने यह कहते हुए अपना पक्ष रखा कि वे 'निर्भरता के नुकसान' के लिए मुआवजे के हकदार हैं क्योंकि मृतक एक स्व-नियोजित व्यक्ति था जिसने अपने परिवार के लिए आरामदायक जीवन प्रदान करने के लिए कई टोपियां पहनी थीं। अपीलार्थियों के अनुसार, मृतक एक मछली विक्रेता-सह-चालक था और कम से कम रु। 25, 000/- प्रति माह।अपीलकर्ताओं ने मृत व्यक्ति के जीवित रहने के दौरान उसकी वित्तीय क्षमता को साबित करने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष विभिन्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।ये थे-(i) एक पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र जो दर्शाता है कि मृतक ने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक व्यापार में दो साल का पाठ्यक्रम पूरा किया था; (ii) सन जेनेरिक केबल्स प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। लिमिटेड; (iii) मृतक का पासपोर्ट यह दर्शाता है कि वह ओमान सल्तनत में 18.11.2007 और 17.11.2011 के बीच कार्यरत था; (iv) यह दिखाने के लिए एक प्रमाण पत्र कि मृतक को नगरपालिका बाजार खरीदारी परिसर में एक दुकान से किराया मिला था; (v) यूनाइटेड किंगडम से 11.12.2014 का एक नौकरी प्रस्ताव पत्र, जिसमें दूरसंचार रिगर की स्थिति की पेशकश की गई थी; (vi) मृतक के बैंक विवरण और (vii) केरल मोटर परिवहन श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड का प्रमाण पत्र।

ई.

च

जी.

6. मृतक की आय से संबंधित उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि वह एक कुशल मजदूर था।यह भी देखा गया कि मृतक ए

एच.

मछली बेचने के व्यवसाय के लिए पट्टे पर दिए गए कमरे से मिलने वाले किराए से वह कमाई कर रहा था।न्यायाधिकरण ने राय दी कि मृतक एक चालक था और तदनुसार उसकी मासिक आय Rs.14,000/- निर्धारित की।इसके अतिरिक्त, यह मानते हुए कि मृतक को किराए के रूप में कम से कम 3,500/- रुपये प्राप्त हुए, न्यायाधिकरण ने उनकी अंतिम अनुमानित आय की गणना Rs.17,500/- (रु। 14, 000 + रु। 3, 500)।न्यायाधिकरण ने विभिन्न अन्य शीर्षों के साथ निर्भरता के नुकसान का कुल मुआवजा रु। 32,39,000-और याचिका दायर करने की तारीख से दिए गए मुआवजे की प्राप्ति तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है।

7. बीमा कंपनी ने न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे की मात्रा को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की।यद्यपि उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की कि मृतक की मृत्यु बीमा कंपनी द्वारा बीमित कार के उतावलेपन और लापरवाही से चलाने के कारण हुई दुर्घटना में हुई थी, लेकिन वह मुख्य रूप से तीन मामलों पर न्यायाधिकरण से असहमत था।पहला, 'निर्भरता की हानि' के शीर्ष के तहत दिया गया मुआवजा; दूसरा, 'दर्द और पीड़ा' के शीर्ष के तहत मुआवजा और अंत में, 'प्यार और स्नेह की हानि' के शीर्ष के तहत मुआवजा।संदर्भ की सुगमता के लिए, नीचे दी गई तालिका विभिन्न शीर्षों के तहत निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा दिए गए मुआवजे को स्पष्ट करती हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

ई.

च

जी.

8. पहली गणना के संबंध में, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में तेजी दिखाई कि मृतक की आय को स्थापित करने के लिए किसी भी सबूत के अभाव में, न्यायाधिकरण ने गलती से उसकी काल्पनिक आय निर्धारित कर दी थी

एच.

रु. में। 14, 000/- प्रति माह।उच्च न्यायालय ने निर्णयों में देखा कि

रामचंद्रप्पा बनाम प्रबंधक, रॉयल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। 1 और सैयद सादिक और ओआरएस. वी.डिवीजनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2, यह न्यायालय, स्थितियों में

जहां स्वतंत्र साक्ष्य का उपयोग करके व्यक्तियों की मासिक आय स्थापित नहीं की जा सकी, वहां इसे 4,500/- रुपये और 500/- रुपये निर्धारित किया गया। वर्ष 2004 और 2008 में हुई दुर्घटनाओं के लिए क्रमशः 6,500/-।उस परिसर में, उच्च न्यायालय ने कहा कि 2015 में दुर्घटना होने के बाद से, अधिकतम मासिक आय जो गणना की जा सकती थी वह रु। 10, 000/-।इस प्रकार 'निर्भरता के नुकसान' के शीर्ष के तहत मुआवजे को घटाकर रु। 17,92,000-।

ग

9. दूसरी गणना के संबंध में, उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा 'दर्द और पीड़ा' शीर्षक के तहत दिए गए मुआवजे को एक लाख रुपये से कम कर दिया। 30, 000/- से रु। 15, 000/-।इसके लिए उच्च न्यायालय द्वारा नियोजित तर्क यह था कि उन मामलों को छोड़कर जहां मृत्यु तत्काल नहीं थी, दी जाने वाली पारंपरिक राशि रु। 15, 000/-।

डी.

10. तीसरी गणना के संबंध में, उच्च न्यायालय ने रु। 50, 000/- और रु। 40, 000/- क्रमशः दूसरे और तीसरे अपीलार्थियों के लिए 'प्रेम और स्नेह की हानि' के शीर्ष के तहत, जिसे न्यायाधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

ई.

11. नतीजतन, उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को एक लाख रुपये से काफी कम कर दिया। 32,39,000-से रु। 19,70,000-।व्यथित अपीलार्थी अब इस न्यायालय के समक्ष हैं।

ख. सामग्रीः

12. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को काफी समय तक सुना है और अभिलेख पर दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए बीमा कंपनी की देयता यहाँ विवाद में नहीं है।न ही विभिन्न शीर्षों के तहत दिए गए मुआवजे के संबंध में कोई विसंगति है सिवाय 'निर्भरता के नुकसान' और/या गैर-पारंपरिक शीर्षों के अलावा।

च

जी.

13. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री थॉमस पी. जोसेफ ने जोरदार तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने 'निर्भरता के नुकसान' का आकलन करने के लिए इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करने में गलती की।

1 (2011) 13 एससीसी 236। 2 (2014) 2 एससीसी 735।

एच.

463

मानुषा श्रीकुमार और ओआरएस. वी.द यूनाइटेड इंडिया इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेड. [सूर्या कान्ट, जे.] ए.

क.

काल्पनिक आय के आधार पर, उन सभी मामलों में, पीड़ित की आय के संबंध में एक भी सबूत नहीं दिया गया था।हालांकि, तत्काल मामले में, अपीलकर्ताओं ने मृतक की आय को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।इसके अलावा, यह मामूली बात है कि अपीलीय न्यायालय की तथ्य-खोज की कवायद करने और न्यायाधिकरण के तर्क में हस्तक्षेप करने की शक्ति सीमित है।ऐसा तभी किया जाता है जब निष्कर्ष विकृत होते हैं या न्यायाधिकरण की ओर से कोई भौतिक चूक होती है।उन्होंने हमारे ध्यान में केरल मोटर परिवहन श्रमिक उचित मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1971 (इसके बाद, "केरल उचित मजदूरी अधिनियम") की अनुसूची बी भी लाई, जिसके अनुसार एक 'चालक' को श्रेणी III-कुशल-बी के तहत 'कुशल श्रमिक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस अधिनियम को अधिसूचना जी. ओ. (सुश्री) के साथ पूरक किया गया था। केरल सरकार द्वारा जारी दिनांक 04.09.2015 एल. बी. आर. (इसके बाद, "अधिसूचना") जिसमें अधिनियम की अनुसूची बी में श्रमिकों की प्रत्येक श्रेणी के लिए वर्ष 2015 के लिए वेतनमान निर्धारित किया गया है।अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि मृतक एक पंजीकृत परिवहन मोटर चालक होने के नाते, केरल उचित मजदूरी अधिनियम के तहत परिभाषित 'चालक' के रूप में माने जाने का हकदार था और उसकी आय उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में निर्धारित की जानी थी।

ग

डी.

14. इसके विपरीत, बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय आय के किसी भी निश्चित प्रमाण के अभाव में मुआवजे की राशि को कम करने में सही था और तथ्य के इस तरह के निष्कर्ष में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने 'प्रेम और स्नेह की हानि' के शीर्ष के तहत Rs.90,000/- का मुआवजा देने में गलती की, जैसा कि इस न्यायालय ने राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम.प्रणय सेठी और ओआरएस। 3, ने 'गैर-पारंपरिक शीर्ष' के तहत कोई राशि प्रदान नहीं की है।विद्वान वकील ने निर्णय पर भरोसा किया

ई.

चोलामंडलम मेसर्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वी. आरिफा और अन्य में यह न्यायालय। 4 और द न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड वी. सोमवती

च

& ओआरएस। 5, जिसमें 'प्रेम और स्नेह की हानि' के शीर्ष के तहत कोई राशि देय नहीं रखी गई है।

सी. विश्लेषण

जी.

15. उपरोक्त चर्चा से इस न्यायालय के विचार के लिए दो मुद्दे उत्पन्न होते हैंः

3 (2017) 16 एससीसी 680।

4 सिविल अपील सं. 6020/2019 आदेश डी. टी.01.08.2019.5 एस. एल. पी. (सिविल) डायरी सं. 30766/2019 आदेश दिनांक।24.09.2019.

एच.

(i) क्या उच्च न्यायालय मृतक की मासिक आय को एक लाख रुपये से कम करने में सही था। 17, 500/- से Rs.10,000/-, पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में?

((ii) क्या उच्च न्यायालय 'गैर-पारंपरिक शीर्ष' के तहत मुआवजा देने में सही था, जो प्रणय सेठी के अनुसार अस्वीकार्य है?

C. 1 निर्भरता के नुकसान के लिए मुआवजे का निर्धारण।

16. अधिनियम के तहत मुआवजे का निर्धारण करते समय, अधिनियम की धारा 168 उचित प्रतीत होने वाले मुआवजे को देना अनिवार्य बनाती है।यह अधिनियम एक सामाजिक कल्याण कानून होने के नाते मुआवजे के रूप में आर्थिक अवधारणा के माध्यम से संचालित होता है, जो सुधारात्मक न्याय का मार्ग प्रशस्त करता है।6 जब भी गलती करने वाले द्वारा पीड़ित को नुकसान पहुँचाने से समानता बाधित होती है, तो क्षतिपूर्ति गलत करने वाले और पीड़ित के बीच समानता लाने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करती है।यह मानव पीड़ा को यथासंभव ठीक करने का भी प्रयास करता है और उन परिवारों को भी बचाने का प्रयास करता है जिन्होंने अपने कमाने वालों को खो दिया है।पर्याप्त मुआवजे को उचित और न्यायसंगत मुआवजा माना जाता है।अदालतों के कंधों पर मामले-दर-मामले के आधार पर पर्याप्त मुआवजे का निर्णय लेने की जिम्मेदारी होती है।हालांकि, अदालतों के लिए यह अनिवार्य है कि वे ऐसा मुआवजा दें जिसका वास्तविक नुकसान से संबंध हो।

ग

डी.

17. यह न्यायालय, सरला वर्मा और अन्य के मामले में।डीटीसी और

ई.

ओआरएस। 7, न्यायसंगत मुआवजे की गणना के लिए एक वस्तुनिष्ठ सूत्र निर्धारित किया।उक्ति के अनुसार, जिन तीन कारकों को स्थापित करने की आवश्यकता है वे हैंः(क) मृतक की आयु; (ख) मृतक की आय; और (ग) आश्रितों की संख्या।

18. इसके अलावा, निर्भरता के नुकसान पर पहुंचने के लिए न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मुद्दे हैं:"(आय तक पहुँचने के लिए किए जाने वाले परिवर्धन/कटौती; (ii) मृतक के व्यक्तिगत जीवन व्यय के लिए की जाने वाली कटौती; और (iii) मृतक की आयु के संदर्भ में लागू किया जाने वाला गुणक।" इन निर्धारकों को मानकीकृत करने का उद्देश्य निर्णयों में एकरूपता लाना और बिना किसी देरी के दावों का निपटान करना था।

च

जी.

19. तत्काल मामले में उपरोक्त मापदंडों को लागू करते हुए, यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि मृतक, निस्संदेह, एक मछली थी

6 ग्रेगरी सी. कीटिंग, 'दुर्घटनाओं के अपकृत्य कानून में वितरण और सुधारात्मक न्याय' (2000) 74 एस कैल एल रेव 193 देखें।

7 (2009) 6 एससीसी 121।

एच.

465

मानुषा श्रीकुमार और ओआरएस. वी.द यूनाइटेड इंडिया इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेड. [सूर्या कान्ट, जे.] ए.

क.

वैध लाइसेंस के साथ विक्रेता-सह-चालक।केरल मोटर परिवहन श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जो मृतक को हल्के मोटर माल वाहन के चालक के रूप में प्रमाणित करता है, जिसमें पंजीकरण संख्या। श्री प्रकाशन के स्वामित्व में के. एल.-36-बी.-7822 रिकॉर्ड पर साबित हुआ है।इसके अलावा, मृतक ने अप्रैल 2012 से अपनी मृत्यु के महीने तक बोर्ड को अपनी सभी सदस्यताओं का भुगतान भी किया था।हमें संदेह करने का कोई कारण नहीं मिलता है कि मृतक अपनी मृत्यु के समय एक चालक था।यह

चंद्र उपनाम चंदा उपनाम चंद्राराम और अन्र बनाम में न्यायालय।

मुकेश कुमार यादव और अन्य। 8, ने उचित रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि वेतन प्रमाण पत्र के अभाव में, न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना के साथ कुछ अनुमान जो वास्तविकता से पूरी तरह से अलग नहीं हैं, मृतक की आय निर्धारित करने के लिए एक मापदंड के रूप में कार्य करेगा।इस संदर्भ में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 57 के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हम केरल उचित मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का न्यायिक संज्ञान लेते हैं, विशेष रूप से इसकी धारा 2 जो निम्नलिखित अभिव्यक्तियों को परिभाषित करती है:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

"2. परिभाषाएँ।- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

डी.

(क) "नियोक्ता" से किसी मोटर परिवहन उपक्रम के संबंध में, वह व्यक्ति या प्राधिकरण जिसका मोटर परिवहन उपक्रम के मामलों पर अंतिम नियंत्रण है, और जहां उक्त कार्य किसी अन्य व्यक्ति को सौंपे गए हैं, चाहे वह प्रबंधक, प्रबंध निदेशक, प्रबंध अभिकर्ता या किसी अन्य नाम से कहा जाए, ऐसा अन्य व्यक्ति; (ख) "मोटर परिवहन उपक्रम" से एक मोटर परिवहन उपक्रम अभिप्रेत है जिसमें एक निजी वाहक भी शामिल है जो किराए या पुरस्कार के लिए यात्रियों या सामान या दोनों को सड़क मार्ग से ले जाने में लगा हुआ है; (ग) "मोटर परिवहन कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मोटर परिवहन उपक्रम में सीधे या किसी एजेंसी के माध्यम से, चाहे मजदूरी के लिए हो या नहीं, किसी परिवहन वाहन पर पेशेवर क्षमता में काम करने या उसके आगमन, प्रस्थान, लोडिंग या अनलोडिंग के संबंध में कर्तव्यों में भाग लेने के लिए नियोजित है।

ई.

च

जी.

8 (2022) 1 एससीसी 198।

एच.

(घ) "उचित मजदूरी" से इस अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट मोटर परिवहन श्रमिकों को देय मजदूरी की दर या मजदूरी की सहमत दर, जो भी अधिक हो, अभिप्रेत है।"

(जोर दिया गया)

20. केरल उचित मजदूरी अधिनियम की अनुसूची बी-श्रेणी III एक चालक को "कुशल श्रमिक" के रूप में वर्गीकृत करती है।इसे उस अधिसूचना के संयोजन में पढ़ना जो 01.01.2015 से प्रभावी हुई थी, जिसने केरल उचित मजदूरी अधिनियम की अनुसूची ए में संशोधन किया था, जिसमें अनुसूची बी में सूचीबद्ध श्रमिकों के न्यूनतम वेतनमान को निर्धारित किया गया था, यह स्पष्ट है कि केरल में एक 'चालक' ने न्यूनतम रु। 2015 में 15,600/-।हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त अधिनियम और उसके तहत जारी अधिसूचना को न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था।इसके परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय 'चालक' जैसे कुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने वाले वैधानिक आदेश का संज्ञान नहीं ले सका, और इस प्रकार, मृतक की आय Rs.10,000/- निर्धारित करने में गलती हुई।इसलिए हम मृतक की आय को अनुमानित रूप से रु। 15, 600/- प्रति माह।

ग

डी.

21. जहाँ तक न्यायाधिकरण द्वारा मछली बेचने के व्यवसाय के संचालन के लिए एक कमरे को पट्टे पर देने से मृतक की किराये की आय के संबंध में 3,500/- रुपये निर्धारित करने का संबंध है, हमें मृतक की आय में इस तरह की वृद्धि करने का कोई वैध कारण नहीं मिलता है क्योंकि किराये की आय उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित की जाएगी, जो इससे प्राप्त लाभों का आनंद लेते रहेंगे।

ई.

22. इस प्रकार मृतक की अंतिम अनुमानित आय Rs.15,600/- (रु। 1,87,200-प्रति वर्ष)।चूँकि मृतक अपनी मृत्यु के समय 32 वर्ष का था, तत्काल मामले में लागू गुणक 16 होगा, और भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत वृद्धि को जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि मृतक स्व-नियोजित था।मृतक की आय का एक तिहाई हिस्सा उसके व्यक्तिगत खर्च में काटा जाएगा क्योंकि उसके तीन आश्रित थे।इसलिए, निर्भरता के नुकसान के शीर्ष के तहत अपीलार्थियों को देय मुआवजा Rs.27,95,520/- (रु। 15, 600 x 140/100 x 12 x 16 x 2/3)।

च

जी.

सी**. 2** गैर**-**पारंपरिक शीर्षों के तहत मुआवजे का निर्धारण।

23. सभी निष्पक्षता में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि, एलडी। बीमा कंपनी के वकील ने आग्रह किया है कि उच्च न्यायालय को 'गैर-पारंपरिक ए' के तहत अपीलकर्ताओं को कोई मुआवजा नहीं देना चाहिए था।

एच.

जो प्रणय सेठी (ऊपर) में इस न्यायालय के कथन के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है।हालाँकि, हम इस साधारण कारण से इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं कि बीमा कंपनी ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर करने का विकल्प नहीं चुना है।सहमति देने के बाद, बीमा कंपनी 'गैर-पारंपरिक शीर्षों' के तहत अपीलकर्ताओं को दिए गए मुआवजे की मामूली राशि पर सवाल नहीं उठा सकती है।हालांकि, इस संबंध में कानून का सवाल खुला रखा गया है।

घ. निष्कर्षः

24. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।25. हम रुपये देते हैं। 27,95,520-मृतक की आय के कारण कुल 'निर्भरता की हानि' की गणना रु। 15, 600/- यानी रु. 1,87,200-प्रति वर्ष।विभिन्न शीर्षों के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दी गई शेष राशि को जोड़ने पर, अपीलार्थी को दिया गया कुल मुआवजा रु। 29,73,520-(Rs.27,95,520/- + रु. 1,78,000-)।

ग

डी.

26. बीमा कंपनी को रुपये की बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। 29,73,520-अपीलार्थियों को दावा याचिका दायर करने की तारीख से वसूली की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ।उपर्युक्त राशि को न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय में निर्धारित अनुपात में अपीलार्थियों के बीच विभाजित किया जाएगा।बीमा कंपनी इस निर्णय की प्रति की प्राप्ति की तारीख से छह सप्ताह के भीतर या तो अपीलार्थियों के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उक्त राशि का भुगतान करेगी या न्यायाधिकरण के समक्ष उसे जमा करेगी, उसके द्वारा पहले से ही भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, में कटौती करने के बाद।27. इस प्रकार, उच्च न्यायालय की अपील के तहत निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है।उपरोक्त शर्तों में किसी भी लंबित आवेदन के साथ अपील का निपटारा किया जाता है।

ई.

च

दिव्या पांडे

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

जी.

एच.